कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

सं0 18229/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2017–18

दिनांक:इलाहाबाद: दिसम्बर 06, 2016

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 16785/ दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2017–18/दिनांक 30–11–2016 द्वारा व्यवस्थापन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है। प्रथम चरण में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिये अन्तिम तिथि 08–12–2016 को 16.00 बजे तक निर्धारित की गयी थी।

दिनांक 06–12–2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने के कारण नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09–12–2016 को समय 16.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। शेष समय–सारिणी यथावत रहेगी।

(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।